

प्रेषक

सेवा में

श्रम आयुक्त, हरियाणा ।

1. सभी अधिकारी, श्रम न्यायालय, हरियाणा राज्य ।
2. अतिरिक्त श्रम आयुक्त (एन०सी०आर), गुरुग्राम ।
3. सभी उप श्रम आयुक्त, हरियाणा राज्य ।
4. सभी उप निदेशक, औद्योगिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य, हरियाणा राज्य ।
5. सभी उप निदेशक, औद्योगिक स्वास्थ्य, हरियाणा राज्य ।
6. सभी सहायक निदेशक, औद्योगिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य, हरियाणा राज्य ।
7. सभी सहायक निदेशक, औद्योगिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य (कैमीकल), हरियाणा राज्य ।
8. सभी सहायक निदेशक, औद्योगिक स्वास्थ्य—कम—सर्टिफाईंग सर्जन, हरियाणा राज्य ।


क्रमांक: /स्था०/०३/२०२०/ १७३०-००८० दिनांक : १८-१०-२०२०

विषय : हरियाणा विधान सभा अधिवेशन ।

उपरोक्त विषय के सन्दर्भ में ।

आपको सूचित किया जाता है कि हरियाणा विधान सभा का अधिवेशन दिनांक 05.11.2020 को दोपहर 2.00 बजे से पुनः शुरू होना सुनिश्चित हुआ है।

अतः निर्देश दिये जाते हैं कि विधान सभा अधिवेशन के दौरान सभी अधिकारी/कर्मचारी न ही अवकाश पर ओर न ही दौरे पर जायेंगे। इस दौरान वे सभी अपने मुख्यालय पर रहेंगे। इसके अतिरिक्त आप अपने कार्यालय में दूरभाष पर किसी जिम्मेवार कर्मचारी की दिनांक 05.11.2020 से सत्र की समाप्ति तक रात्रि 8:00 बजे तक डयूटी लगायें तथा इस बारे मुख्यालय को भी सूचित करें। सभी अधिकारीगण से ये अनुरोध है कि वे भी अपने अधीनस्थ सभी अधिकारियों/कर्मचारियों को इसके बारे में अपने स्तर पर भी सूचित करते हुये अनुपालना सुनिश्चित करें।



अधीक्षक (स्था०)  
कृते: श्रम आयुक्त, हरियाणा ।